न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 317/2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

1. बालूलाल पिता रामचन्द्र कलाल उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील कोटडी
2. नानी बेवा रामचन्द्र कलाल उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील कोटडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरुलाल पिता गोकल कलाल उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील कोटडी
2. रामलाल पिता तुल्छा दरोगा उम्र वयस्क निवासी फलेदी तहसील गंगरार
3. भोनालाल पिता पोखर दरोगा उम्र वयस्क निवासी फलेदी तहसील गंगरार
4. लादुलाल पिता कन्हैयालाल शर्मा उम्र वयस्क निवासी मुरलिया
5. राधाकिशन पिता कन्हैयालाल शर्मा उम्र वयस्क निवासी मुरलिया
6. देबी पिता नन्दा कलाल उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील कोटडी
7. गोपाल पिता प्रताप कलाल उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील कोटडी
8. छोटु पिता प्रताप कलाल उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील कोटडी
9. प्रेम पुत्री प्रताप कलाल पत्नि चान्दमल कलाल उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील कोटडी हाल रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा
10. गीता पुत्री प्रताप पत्नि जमनालाल कलाल निवासी मुरलिया हाल निवासी चांदगढ तहसील कोटडी
11. बाली पुत्री प्रताप पत्नि भंवरलाल कलाल निवासी मुरलिया हाल निवासी कालसास तहसील व जिला भीलवाडा
12. सोहनी बेवा प्रताप कलाल उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील कोटडी
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक 28/03/17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 30/11/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम मुरलिया, पटवार मण्डल आमा, भू.अ.निरिक्षक बडलियास, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 281/4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 281/5 रकबा 5 बीघा कुल कीता 2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **बडलियास** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम मुरलिया, पटवार मण्डल आमा, भू.अ.निरिक्षक बडलियास, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 281/4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 281/5 रकबा 5 बीघा कुल कीता 2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 350 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा